उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण “उरेडा” देहरादून

सूचना अधिकार अधिनयम- 2005

मैनुअल

संख्या - 03

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं.

3- विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

1- घराट कार्यक्रम- उरेडा द्वारा प्रदेश में घराटों के सुदृढीकरण का कार्य किया जा रहा है। घराटों के मैकेनिकल उपयोग के साथ 5 किलोवाट तक विद्युत भी किया जाता है। मैकेनिक घराट पर रू0 30000/- तथा इलैक्ट्रीकल घराट पर रू0 100000/- की वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है। रू0 6000/- का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। भवन आदि सिविल कार्य लाभार्थी को करना होता है। घराट स्थापना हेतु लाभार्थी का प्रस्ताव जनपदीय कार्यालय में प्राप्त होता है, जिसके लिए स्थल का सर्वेक्षण जनपदीय कार्यालय के कार्मिकों द्वारा किया जाता है। उपयुक्त स्थल होने पर प्रस्ताव मुख्यालय के माध्यम से भारत सरकार स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर लाभार्थी का बैंक खाता खुलवाकर वित्तीय राशि उसके खाते में हस्तारान्तिरित की जाती है। लाभार्थी को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। आपूर्ति/स्थापना का कार्य लाभार्थी द्वारा स्वंय कराया जाता है।

2- ब्रिकेटिंग प्लाण्ट- कृषि अवशेषों एवं वन्य अवशेषों जैसे चीड की पत्तिया, लैन्टाना घास आदि से ब्रिकेट बनाकर इसका वाणिज्यिक उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए लाभार्थी जिसके पास अथवा उस क्षेत्र में ऐसे अवशेष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, का चयन किया जाता है एवं संयत्र की स्थापना कराई जाती है। संयत्र पर 90 प्रतिशत अनुदान है केवल 10 प्रतिशत लाभार्थी को वहन करना होता है। ब्रिकेट से लकडी के बजाय अधिक कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इन ब्रिकेट का उपयोग बाइलरों, ईट भटटों, होटलों में किया जा सकता है एवं रोजगार किया जा सकता है।

3- बैल चालित टैक्ट्रर- लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए जहॉ बैल चालित ट्रैक्टर वितरित किये जा रहे हैं। इन टैक्ट्ररों के लिए चयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों में भूमि की उपलब्धता पर अन्तिम चयन किया जाता है। संयत्र पर 90 प्रतिशत अनुदान देय है।

4- सोलर चरखा- अविद्युतीकृत क्षेत्रों में सूत कातने हेतु सौर ऊर्जा से संचालित चरखों की स्थापना की जा रही है। लाभार्थियों का चयन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं अवनी स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करते हुए सोलर चरखों का वितरण किया जायेगा।

5- सोलर घरेलू बत्तीः- वर्तमान

क्र0सं0	कार्यक्रम	कुल मूल्य	अनुदान	लाभार्थी अंशदान
1.	सोलर घरेलू बत्ती (37 वाट)	13499.00	8660.00	4940.00

1. पात्र व्यक्तिः- शहरी एंव अविद्युतीकृत ग्रामों के अतिरिक्त शेश क्षेत्रों के निवासी ।
2. प्राथमिकताः- एस0सी0टी0/टी0एस0पी0/बी0पी0एल0 ।
3. आवेदन हेतु वाँछित अभिलेखः-
   (1) राशनकार्ड की प्रति/निर्वाचन कार्ड की प्रति (2) आवेदनकर्ता की फोटो
4. आवेदन का प्रारूप परियोजना कार्यालयों पर उपलब्ध है, आवेदन पत्रों के प्रारूप विकास खण्ड कार्यालयों पर भी उपलब्ध कराये जाते है ।
5 आवेदन भरकर उस पर दर्शाये स्थल पर लाभार्थी का फोटो लगाकर, परिवार रजिस्टर की परिवार संख्या अंकित करने के साथ-साथ ग्राम प्रधान से अग्रसारित कराकर उरेडा के सम्बन्धित जिला कार्यालय में जमा करना है ।
6. परियोजना कार्यालयों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पात्र अभ्यार्थियों का चयन किया जायेगा एवं आवेदनकर्ता संयंत्र लेने के लिए अग्रिम/पूर्ण राशि जमा कराने हेतु सूचित किया जायेगा ।

7. पूर्ण लाभार्थी अंश जमा होने के उपरान्त ही संयंत्र स्थापित किया जायेगा।
8. संयंत्र स्थापित होने के 05 वर्ष तक संयंत्र की उरेडा द्वारा मरम्मत करायी जायेगी।
9. आपूर्तिकर्ता फर्म का प्रतिनिधि प्रत्येक 06 माह में संयंत्र की जाँच करेगा।

6- <u>सोलर लालटेनः-</u>

क्रसं	कार्यक्रम	कुल मूल्य	अनुदान	लाभार्थी अंश
सोलर लालटेन (7 वाट)				
1-	गरीबी रेखा से नीचे के परिवार	3975.00	3475.00	500.00
2-	अनु0जाति/जनजाति	3975.00	3225.00	750.00
3-	सामान्य वर्ग	3975.00	2975.00	1000.00
4-	बी0पी0एल0 छात्राएं एवं वन गूर्जर	3975.00	3975.00	-

1. पात्र व्यक्तिः- अविद्युतीकृत क्षेत्रों के निवासी।
2. प्राथमिकताः- एस0सी0टी0/टी0एस0पी0/बी0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 छात्राएं, वन गूर्जर।
3. आवेदन हेतु वाँछित अभिलेखः-

राशनकार्ड की प्रति/निर्वाचन कार्ड की प्रति (2) आवेदनकर्ता की फोटो

आवेदन का प्रारूप परियोजना कार्यालयों पर उपलब्ध है, आवेदन पत्र के प्रारूप विकास खण्ड कार्यालयों पर भी उपलब्ध कराये जाते है।

आवेदन भरकर उस पर दर्शाये स्थल पर लाभार्थी का फोटो लगाकर, परिवार रजिस्टर की परिवार संख्या अंकित करने के साथ-साथ ग्राम प्रधान से अग्रसारित कराकर उरेडा के सम्बन्धित जिला कार्यालय में जमा करना है।

परियोजना कार्यालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पात्र अभ्यार्थियों का चयन किया जायेगा एवं आवेदनकर्ता को संयंत्र लेने के लिए अग्रिम/पूर्ण राशि जमा कराने हेतु सूचित किया जायेगा।

पूर्ण लाभार्थी अंश जमा होने के उपरान्त ही आवेदनकर्ता को सोलर लालटेन उपलब्ध कराई जायेगी।

संयंत्र प्राप्त होने के 05 वर्ष तक संयंत्र में कोई खराबी होने की दशा में संयंत्र उरेडा द्वारा ठीक कराया जायेगा।

7. <u>सोलर स्ट्रीट लाईटः-</u>

क्र0सं0	कार्यक्रम	कुल मूल्य	अनुदान	लाभार्थी अंश
1-	सोलर स्ट्रीट लाईट (100 : अनुदान)	24999	24999-00	शून्य
2-	सोलर स्ट्रीट लाईट (60 : अनुदान)	24999	14999-00	10500-00

1. पात्र व्यक्तिः- अविद्युतीकृत एवं शहरी क्षेत्रों को छोडकर अन्य क्षेत्र।
2. प्राथमिकताः- एस0सी0टी0/टी0एस0पी0
3. आवेदन हेतु वाँछित अभिलेखः-

4. सर्वप्रथम सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा जिसमे ग्राम पंचायत द्वारा रखरखाव अवधि के उपरान्त अपने संसाधनों से संयंत्रों की बैटरी एवं लाईट बदलने, डिस्टिल वाटर डालने आदि रखरखाव संबंधी कार्यो तथा सुरक्षा का समस्त व्यय वहन करने हेतु प्रस्ताव/सहमति दी गयी हो।

5- उक्त प्रस्ताव प्राप्त होन के उपरान्त चयनित ग्राम/स्थल का सर्वे करते हुए, स्थापित किये जाने वाले सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की संख्या एवं स्थापना स्थलों का निर्धारण ग्राम सभा की खुली बैठक में कराया जायेगा तथा तद्नुसार ले-आउट तैयार कर ग्राम सभा

की बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त मूल प्रस्ताव कार्यालय में रखा जायेगा । एवं ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना हेतु निर्धारित प्रपत्र पर समस्त जानकारी अंकित करने हुए प्रस्ताव तैयार किया जाय।

6- सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना हेतु अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, निजी उद्यमियों, पेट्रोल पम्पों, पर्यटक स्थलों, होटलों तथा अन्य इच्छुक अभ्यथिर्यो का भी चयन किया जायेगा ।

7- चयनित एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 ग्रामों की सूची समाज कल्याण विभाग से अनुमोदित करा ली जाय।

8- संयंत्र स्थापित होने के 05 वर्ष तक संयंत्र में कोई खराबी होने की दशा में संयंत्र उरेडा द्वारा ठीक कराया जायेगा ।

9- आपूर्तिकर्ता फर्म का प्रतिनिधि प्रत्येक 06 माह में संयंत्र की जाँच करेगा ।

10- <u>लघु जल विद्युत परियोजना-</u> जिस स्थल पर जल प्रवाह एवं जल की अच्छी मात्रा उपलब्ध हो वहाँ पर लघु जल विद्युत योजना स्थापित की जाती है। इस हेतु क्षेत्र का सर्वेक्षण कर उपयुक्त स्थलों का चयन कर प्रिफिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार प्रेषित की जाती है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र, रूडकी विश्व विद्यालय रूडकी योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई जाती है। परियोजना रिपोर्ट स्वीकृति हेतु भारत सरकार प्रेषित की जाती है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुबंध के माध्यम से फर्मो के साथ अनुबंध का योजना की स्थापना एवं योजना से आस-पास के ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाता है।

11- <u>सोलर वाटर हीटिंग संयत्र-</u> संयंत्र की स्थापना हेतु सर्व प्रथम उपयुक्त स्थल जहाँ पर दिन में अधिक से अधिक धूप मिल सके एवं उसके बाधित होने की सम्भावना न हो, चयन किया जाता है। इसके उपरान्त गरम पानी के उपयोग की क्षमता के आधार पर क्षमता का चयन करते हुए अनुबंधित फर्म से संयत्र की स्थापना कराई जाती है। संयत्र स्थापना उपरान्त एक वर्ष की गारण्टी अवधि में हता है। 100 ली0 प्रतिदिन संयत्र की कीमत लगभग 22000/- है। संयत्र हेतु गरम पानी की लाईन छत से बाथरूम तक ले जाने एवं बाथरूमों की संख्या के आधार पर संयत्र की कीमत कम या अधिक हो सकती है।

उरेडा द्वारा सूचीबद्ध फर्मो से बी0आई0एस0 एस0डब्लू0एच0, एम0एन0आर0ई0 अनुमोदित संयंत्रों की स्थापना पर उरेडा द्वारा राज्य बजट से घरेलू उपभोक्ताओं को रू0 6000/- प्रति 100 ली0/दिन क्षमता, गैर व्यवसायिक पंजीकृत संरचनाओं को रू0 3800.00 प्रति 100ली0/दिन क्षमता एवं व्यवसायिक प्रतिश्ठानों को रू0 4350/- प्रति 100ली0/दिन क्ष्मता की दर से राहत सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त इन संयंत्रों की स्थापना एवं इसके सहायतित उपयोग पर उपभोक्तओं को उसके बिल में रू0 75.00 प्रति 100 ली0 स्थापित/माह विद्युत में छूट का प्राविधान भी है। वास्तविक विद्युत बिल इस धनराशि से कम होने पर तद्नुसार वास्तविक बिल में धनराशि की छूट अनुमन्य है।